न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल रवर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या :– 38/2007

दायर दिनांक – 22.6.2007
फैसल दिनांक – 14.3.18

1–श्रीमती मीरं पिता वेसात मीणा निवासी गामडाबामणिया
2– श्रीमती वीना पिता वेसात मीणा निवासी गामडाबामणिया

(वादीगण)

बनाम

1– श्री कचरा पिता कालीया भील निवासी गामडा बामणिया के कायम मुकाम
1/1 राजू पत्नि कचरा
1/2 लीला पूत्री कचरा
1/3 तुलसी पुत्री कचरा
1/4 रमेश पूत्र कचरा
2– श्रीमती मणी पिता वेसात भील निवासी गामडाबामणिया हाल निवासी आरा
3– श्रीमान तहसीलदार सा0भूमिधारी तहसील सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री सी0पी0गांधी
वकील प्रतिवादी– श्री अशोककंसारा

दावा बाबत 53,88,188 व 209 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित खाते की आराजीयात कुल 19 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है ।वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित पेढीनामा अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 कचरा का सगा भाई स्व0वेसात की पुत्रियां वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 है ,स्व0 वेसात की पत्नि ईटली है जो नाते चली गई है , वेसात और ईटली के नुत्फे से पांच पुत्रियों का जन्म हुआ जिसमें कान्ता व लसी की मृत्यु हो चुकी है तथा मीरं , मणी व वीना की शादी करादी है । परन्तु स्व0 वेसात की सम्पत्ति की मालिक व स्वामी मीरा ,मणी व बीना ही है । स्व0 वेसात की मृत्यु के बाद विरासती नामान्तरकरण खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीयागण व प्रतिवादी नं0 2 का नाम मृतक बहनों के साथ दर्ज है । राजस्व रेकार्ड में मृतक बहन कान्ता व लसी का नाम नहीं हटाया गया है । वादीयागण एवं प्रतिवादी नंबर 2 की शादी हो चुकी है तथा उनका खाता संख्या 30/27 में आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 का है उक्त भूमि पैत्रक भूमि है । प्रतिवादी नं02 शादी के बाद अपने पति नाथू के साथ निवास करती है इस भूमि में वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी नं0 2 भी खातेदार होकर मालिक व स्वामी है परन्तु उक्त भूमि की देखरेख व अन्य व्यक्तियों को भाग पर कमाने देकर उक्त भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

वादीयागण खेती करवाती है ,अपने हिस्से की कृषि भूमि मे होने वाली उपज वादीयागण व प्रतिवादी नं02 प्राप्त करते है। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 कबरा को कई बार उक्त खाते की भूमि का बंटवारा कर खाते को अलग करने को कहा परन्तु हमेशा टालमटोली कर समय गुजारता है और बंटवारा करने में आनाकानी करता है।प्रतिवादी नं0 1 उक्त सारी भूमि को हडप लेना चाहता है । यह कि वादीयागण के पिता के जीवनकाल में ही मौखिक रूप से उक्त भूमि का बंटवारा हो चुका है और बंटवारा अनुसार मौके पर दोनो पक्ष काबिज हैं । अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 2870 रकबा 10 बिस्वा व 2871 रकबा 15 बिस्वा की भूमि का पुरा पुरा रकबा बंटवारे में वादीयागण को प्राप्त हुआ है और उस पर वादीगण का कब्जा काश्त है ।

वादीगण द्वारा वाद के अन्त में वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित खाता संख्या 30/27 की भूमि का पक्षकारगण के बिच समान बंटवारा किया जाकर वादीयागण व प्रतिवादी नम्बर 2 का खाता एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का खाता अलग किया जाने ,खसरा नम्बर 2870,2871 की पुरी भूमि वादीयागण एवं प्रतिवादी नम्बर 2 के खाते अन्य हिस्से की भूमि के साथ खातेदार घोषित किया जाने ,खाता नं0 20/27 की भूमि का मौखिक बंटवारा से प्रतिवादी नंबर 1 इन्कार करे तो पुरे रकबे का समान हिस्सा किया जाकर आधा आधा बंटवारा किया जाने तथा वादीयागण व प्रतिवादी नम्बर 2 के हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने से प्रतिवादी 1 रूकावट नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने निवेदन किया गया है ।

वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ वाद पत्र की ताईद मे शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नकल जमाबन्दी खाता संख्या 30/27 संवत 2060–63 की पेश की है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने तलब किया गया ।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब मय काउण्टर क्लेम के पेश किया जिसकी नकल वकील वादी को दी गई । वकील वादी द्वारा जवाबूल जवाब प्रस्तुत करने अवसर चाहा। प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए वकील वादी द्वारा जवाबुल जवाब प्रस्तुत करने पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए:–

तनकी सांख्या 1 –आया वाद वर्णित भूमि मोजा गामडा बामणिया की जमाबन्दी 2060–63 के खाता संख्या 30/27 की आराजीयात किता 19 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पैत्रक होकर सहखातेदारी दर्ज है?

(वादीगण)

तनकी सांख्या 2 – आया वाद वर्णित भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे काश्त रवामित्व में होकर अपना 1/2 हिस्सा बंटवारा करा खाता प्रथक करने का हकदार है ?

(वादीगण)

तनकी सांख्या 3– आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है ?

(वादीगण)

तनकी सांख्या 4 –आया वादीगण वेसात की सन्तान नहीं होकर उनका नाम खाते में गलत दर्ज हो गया है?
(प्रतिवादी)

तनकी सांख्या 5 – आया प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम वादवर्णित खाते से नाम हटवाने का हकदार है ?

(प्रतिवादी)

तनकी सांख्या 6 – दादररी ?

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार वाद बिन्दु निर्धारित कर वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह मीरा एवं मणी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया ।

वकील प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 कचरा की मृत्यु हो जाने से कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 कचरा के विधिक वारिसान को कायम मुकाम दर्ज किए गए ।

वकील प्रतिवादी द्वारा वादी के गवाहान से जिरह पूर्ण की । वकील वादी की साक्ष्य समाप्ति पश्चात प्रतिवादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई । प्रतिवादी एवं वकील प्रतिवादी दिनांक 28/3/2016 को अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान प्रदर्श 1 जो कि जमाबन्दी संवत 2060–63 खाता संख्या 30/27 मौंजा गामडा बामणिया की है की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि खातेदार के स्थान पर कचरा पिता कालिया 1/2 ,मीर मणी कान्ता लसी वीना पिता वेसात 1/2 हिब भील सा.देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वकील वादी ने बहस में यह भी बताया कि वादीयागण के पिता के जीवनकाल में ही मौखिक बंटवारा हो चुका है ओर बंटवारा अनुसार मौके पर दोनो पक्ष काबिज है तथा आराजी संख्या 2870,2871की भूमि का पुरा पुरा क्षेत्रफल बंटवारे में वादीयागण को प्राप्त हुआ है और वादीगण का कब्जा काश्त है।विद्वान अभिभाषक वादीगण ने बहस के अन्त में वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित खाता संख्या 30/27 की भूमि का पक्षकारगण के बिच समान बंटवारा किया जाकर वादीयागण व प्रतिवादी नम्बर 2 का खाता एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का खाता अलग किया जाने ,खसरा नम्बर 2870,2871 की पुरी भूमि वादीयागण एवं प्रतिवादी नम्बर 2 के खाते अन्य हिस्से की भूमि के साथ खातेदार घोषित किया जाने ,खाता नं0 20/27 की भूमि का मौखिक बंटवारा से प्रतिवादी नंबर 1 इन्कार करे तो पुरे रकबे का समान हिस्सा किया जाकर आधा आधा बंटवारा किया जाने तथा वादीयागण व प्रतिवादी नम्बर 2 के हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने से प्रतिवादी 1 रूकावट नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने निवेदन कर बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया , तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1 –आया वाद वर्णित भूमि मोजा गामडा बामणिया की जमाबन्दी 2060–63 के खाता संख्या 30/27 की आराजीयात किता 19 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पैत्रक होकर सहखातेदारी दर्ज है?

(वादीगण)

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण को है । वादीगण के द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत प्रदर्श –1 में खातेदार के स्थान पर कचरा पिता कालिया 1/2 ,मीर मणी कान्ता लसी वीना पिता वेसात 1/2 हिब दर्ज रेकार्ड है । प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा में कालिया के दो पूत्र कचरा एवं वेसात होना बताते हुए छोटा पुत्र वेसात बिना शादी किये लाऔलाद फोत हो जाना , वेसात ने अपने जीवन काल में किसी से शादी नहीं करना और कुँवारा ही फौत हो जाना ,वेसात फौत हो जाने के बाद वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी नं01 द्वारा ही काश्त करना ,वादीगण की माता ईटली की शादी लखमा निवासी ओवरी से होना तथा लखमा के जीतेजी ईटली आंतरी एवं उसके बाद भेंसरा चाडोली नाते जाना , मीर

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

लखमा की लडकी तथा बिना व गणी वेसात की लडकी होना बताया है । चूँकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश होने से उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए है अतः साक्ष्य के अभाव में यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2 – आया वाद वर्णित भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे काश्त स्वामित्व में होकर अपना 1/2 हिस्सा बंटवारा करा खाता प्रथक करने का हकदार है ?
(वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है ।तनकी संख्या 1 के निर्णयानुसार वादग्रस्त खाता संख्या 30/27 मौजा गामडा बामणिया के पक्षकारान सहखातेदार दर्ज रेकार्ड हैं । सहखातेदारान संयुक्त खाते की भूमि का बंटवारा कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3– आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है ?
(वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है। चूँकि तनकी संख्या 1 एवं तनकी संख्या 2 के विवेचन अनुसार वादीगण वादग्रस्त खाता संख्या 30/27 के सहखातेदार दर्ज है अतः वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं । अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4 – आया वादीगण वेसात की सन्तान नहीं होकर उनका नाम खाते में गलत दर्ज हो गया है ?
(प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा में वादीगण वेसात की सन्तान नहीं होकर उनका नाम खाते में गलत दर्ज हो जाना बताया है लेकिन प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के उपरान्त इस तथ्य की प्रमाणिकता में न तो कोई ठोस प्रमाण /साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं एवं नही न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही को दो तरफा के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः साक्ष्य के अभाव में यह तनकी भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 5 –आया प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम वादवर्णित खाते से नाम हटवाने का हकदार है ?
(प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । वादीगण की ओरसे प्रस्तुत पेढीनामा अनुसार मूल पुरूष कालिया थे जिसके दो पूत्र वेसात एंव कचरा है । वेसात के पत्नि ईटली एवं पांच पुत्रियां मीरं, गणी,कान्ता,लसी ,वीना है। कान्ता एंव लसी की मृत्यु हो गई है तथा माता ईटली अन्यत्र नारे चली गई है । प्रतिवादी ने अपने जवाब एंव प्रतिदावे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत पेढीनामा ननगढना व काल्पनिक होना बताया है लेकिन प्रतिवादी उक्त तथ्य को साक्ष्य एवं प्रगाण से साबित करने में असमर्थ रह है। चूँकि पेढीनामा अनुसार वादीगण मीरं ,वीना एवं प्रतिवादी संख्या 2 गणी मृतक वेसात की सन्तान है एव पैत्रक सम्पत्ति की हकदार होकर खाता संख्या 30/27 में सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। वेसात की मृत्यु के बाद वारीसान के नाम दर्ज हुए उस समय भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई आपत्ति की जाना प्रतित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

होता है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम वाद वर्णित खाते से हटाने का हकदार नहीं होने से यह तनकी भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 6 – दादरसी

वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाद ग्रस्त खाता संख्या 30/27 के सहखातेदार दर्ज हैं । वादीगण द्वारा वाद पत्र में आराजी नम्बर 2870 एवं 2872 की पूरी भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 2 के खाते दर्ज किए जाने की दाद चाही गई है लेकिन वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर पूरा पूरा अपना कब्जा काश्त सम्बन्धि कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए है ।

उपरोक्त तनकीवाईज विवेचन से तनकी संख्या 1 से 4 वादीगण गण के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा अस्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा गामडा बामणिया के खाता संख्या 30/27 जमाबन्दी संवत 2066–69 के किता खेत 19 रकवा 11 बीघा 14 बिस्वा का जमावन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण मीरं,वीना , एवं प्रतिवादी कचरा पिता कालिया के कायम मुकाम ,मणी पिता वेसात के मध्य बहिस्सा बराबर बराबर बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शे के तीन प्रति में प्रस्तुत करें ।

तहसीलदार सागवाडा के पत्र संख्या राजस्व/147 दिनांक 8.3.2018 के द्वारा निम्नानुसार बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई :–

खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
रमेश पिता कचरा राजु देवी बेवा कचरा हिब भील सा देह खातेदार	27/1	0.04	बीड	0.04
	160/1	0.123	सु0 ।।।	0.60
	161/1	0.12	म0बीड	0.06
	187/1	0.04	सी0 ।।	0.40
	380/1	0.05	सु0 ।।	0.37
	387/1	0.05	सु0 ।	0.44
	602/1	0.16	म.बीड	0.08
	603/1	0.05	राकड ।	0.13
	605/1	0.02	सु0 ।।	0.15
	608/1	0.06	सु0 ।।	0.45
	627/1	0.04	म.बीड 0.03 सु. ।। 0.01	0.02 0.08
	631/1	0.07	सु0 ।	0.62
	640/1	0.02	सु0 ।	0.17
	656/1	0.09	रोहन ।।	1.01
	658/1	0.04	रोहन ।।	0.45
	1147/1	0.04	रोहन ।।	0.45
	2870/1	0.05	सु0 ।	0.44
	2871/1	0.05	सु0 ।	0.44
मीर वीना पिता वेसात भील हिब सादेह खातेदार रहन ग्रामीण बैंक शाखा गामडाबामणिया	27/2	0.02	बीड	0.02
	160/2	0.05	सु0 ।।।	0.25
	161/2	0.05	म0बीड	0.02

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

	187/2	001	सी0 ।।	0.10
	380/2	0.02	सु0 ।।	0.15
	387/2	002	सु0 ।	0.18
	602/2	0.07	म.बीड	0.03
	603/2	002	राकड ।	0.05
	605/2	0.01	सु0 ।।	0.07
	608/2	0.02	सु0 ।।	0.16
	627/2	0.01	सु0 ।।	0.08
	631/2	0.03	सु0 ।	0.26
	640/2	0.01	सु0 ।	0.09
	656/2	0.04	रोहन ।।	0.46
	658/2	0.01	रोहन ।।	0.12
	1147/2	0.02	रोहन ।।	0.23
	2870/2	0.02	सु0 ।	0.18
	2871/2	0.02	सु0 ।	0.18
मणी कान्ता लसी पिता वेसात भील हिब सादेह खातेदार रहन ग्रामीण बैंक शाखा गामडाबागणिया हिस्सा मणी का	27/3	0.02	बीड	
	160/3	0.07	सु0 ।।।	
	161/3	0.07	म0बीड	
	187/3	0.03	सी0 ।।	
	380/3	0.04	सु. ।। 0.03 चट्टान 0.01	
	387/3	0.03	सु0 ।	
	602/3	0.09	म.बीड	
	603/3	0.03	राकड ।	
	605/3	0.01	सु0 ।।	
	608/3	0.03	सु0 ।।	
	627/3	0.02	सु0 ।।	
	631/3	0.03	सु0 ।	
	640/3	0.01	सु0 ।	
	656/3	0.05	रोहन ।।	
	658/3	0.02	रोहन ।।	
	1147/3	0.03	रोहन ।।	
	2870/3	0.03	सु0 ।	
	2871/3	0.03	सु0 ।	
मीर गणी कांता लसी वीना पिता वेसात 1/2 हिब सादेह शंकर पिता दायगा 1/2 हि सा गडाएकलिंगजी तहसील आसपुर भील खातेदार	1199	0.08	सु. ।	0.40

नोट – आराजी नम्बर 2871/4 किस्म आबादी होने से समस्त खातेदार का सिरकती रहेगा ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के क्रम में वकील पक्षकारान को सुना गया । वकील पक्षकारान ने प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट पर सहमती दी एवं तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद के लिए निवेदन किया गया ।

अतः वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि संलग्न बंटवारा रिपोर्ट (परिशिष्ट– अ) अनुसार बंटवारा कर तदनुसार रेकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 14/3/17 को खूले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner